मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवां तल, लिली ट्रेडविंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) – 462008

क्रमांक- 1372 एफ-53/एमपीटीबी/प्रशासन/2020 भोपाल दिनांक- 24 /02/2020

विज्ञापन

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में "मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017" के अंतर्गत सलाहकार, विपणन के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु कार्यरत सेवारत/सेवानिवृत्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम/शर्ते मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट **www.tourism.mp.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 12-03-2020 को शाम 04.00 बजे है।

प्रबंध संचालक

विज्ञापित पद का विवरण

क्र	पद	योग्यता	वांछनीय योग्यता/अनुभव	वेतन/मानदेय
1	सलाहकार (विपणन)	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से से एम.बी.ए. (टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन) 2- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षो का कार्यानुभव 3- अंग्रेजी भाषा में कुशलता, (लिखना, बोलना एवं पढना) 4- कम्प्यूटर का ज्ञान(MS office)	1- अतिथ्य क्षेत्र का अनुभव 2- विशेष रूप से अतिथ्य क्षेत्र के इवेंटस् को संभालने की क्षमता/विशिष्ट जनों हेतु इवेन्ट आयोजित करने का अनुभव को प्राथमिकता । 3- ऑन लाइन मार्केटिंग चैनलों का ज्ञान 4- विश्लेष्णात्मक एवं मल्टीटास्किंग कौशल	मासिक एक मुश्त वेतन वह होगा जो प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित किया जायेगा । •सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय वेतन संरचना में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एक मुश्त राशि संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाडा भत्ता(यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते की पात्रता होगी तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत की भी पात्रता होगी ।

आवश्यक निर्देश :

1. संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध तीन वर्ष के लिए होगा परन्तु नियुक्ति प्रथम एक वर्ष के लिए प्रदान की जावेगी । जिसे कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध आगामी एक वर्ष के लिए बढाया जाएगा ।
2. शासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी की आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी ।
3. आवेदन ई–मेल jdadmin.mptb@mp.gov.in /डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेगें। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति होना अनिवार्य है।
4. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु जारी नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा ।
5. शासकीय कार्य से यात्रा पर व्यय की प्रतिपूर्ति म.प्र. टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।
6. संविदा नियुक्ति पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
7. आवेदन पत्र में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिये आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. केवल चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय उम्मीदवारों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
9. पदों की संख्या में कमी / बढ़ोत्तरी करने का अंतिम अधिकार, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पास सुरक्षित होगा।
10. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, मध्यप्रदेश द्वारा बिना कोई कारण बताए आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. आवेदन पत्र दिनांक 12 / 03 / 2020 को साय 4:00 बजे तक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें।

सलाहकार के लिये कार्य की शर्तें (TOR)

पद का नाम – सलाहकार (विपणन)

पृष्ठभूमि -

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल द्वारा ग्रामीण पर्यटन को मध्यप्रदेश में बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन, मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों के समीप चिन्हित गांवों में किया जा रहा है। चिन्हित गांवों में पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानीय गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय परिवारों के साथ ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। चिन्हित गांवों में स्थानीय परिवारों द्वारा होम स्टे का भी निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा परियोजना की अवधि के दौरान लगभग 1000 होम स्टे विकसित करने की योजना बनायी गई है, होम स्टे के निर्माण के पश्चात् उनकी मार्केटिंग महत्वपूर्ण घटक होगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा इन होम स्टे को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है, ताकि उन्हें नियमित बुकिंग मिल सके।

इसे पेशेवर रूप से संचालित करने एवं एक उचित प्रणाली के विकास करने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड मार्केटिंग सलाहकार की आवश्यकता है। मार्केटिंग सलाहकार इन गांवों में एक उचित प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों के साथ संबंध भी विकसित करेगा।

जॉब विवरण -

1. क्षेत्र के व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग गतिविधियों के संचालन के लिए प्रक्रिया विकसित करना ।
2. पत्रक, पोस्टर एवं फार्मस् सहित मार्केटिंग सामग्री के उत्पादन एवं विपणन का समुचित प्रबंधन करना।
3. परियोजना के तहत विकसित किए गए गांवों हेतु उचित बुकिंग प्रणाली का विकास करना।
4. ऑनलाईन बुकिंग एजेंसियों / राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों के साथ लिंकेज करना एवं परियोजना में विकसित होम स्टे का पंजीयन करना।
5. उन समूहों / एजेंसियों की पहचान करना जिन्होंने राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा आयोजन किया हो, उनके साथ संबंध स्थापित करना एवं उनके बीच गांवों को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बढ़ावा देना।
6. प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चिन्हित गांवों और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग योजना का विकास करना।
7. राज्य स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर पर्यटन स्थलों पर विभिन्न मार्केटिंग एवं प्रमोशन सामग्री को डिजाईन एवं विकास करना।
8. विभिन्न मार्केटिंग इवेंट्स में परियोजना और उसकी गतिविधियों का प्रतिनिधित्व / प्रदर्शन करना।
9. "रॉयल कुजीन कम्पनी" के गठन से संबंधित कार्य, जैसे- AoA, MoA, कम्पनी सचिवों चार्टर्ड एकाउंटेंट, राज परिवारों और मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के संबंधित अधिकारियों से विकास के लिए समन्वय करना।
10. मध्यप्रदेश में रॉयल कुजीन रेस्टोरेंट की स्थापना एवं मार्केटिंग से संबंधित सभी कार्य।

Advertisement

11. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रिपोर्टिंग अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य समस्त कार्य।

शैक्षणिक योग्यता -

2. अनिवार्य –
   - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन)
   - संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव
   - अंग्रेजी भाषा में कुशलता (लिखना, बोलना एवं पढना)
   - कम्प्यूटर का ज्ञान (MS office)
3. वांछनीय –
   - आतिथ्य क्षेत्र का अनुभव
   - विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र के इवेंट्स को संभालने की क्षमता/विशिष्ट जनों हेतु इवेन्ट आयोजित करने के अनुभव को प्राथमिकता ।
   - ऑनलाईन मार्केटिंग चैनलों का ज्ञान
   - विश्लेष्णात्मक एवं मल्टीटास्किंग कौशल

कार्य स्थल – भोपाल

- आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करना
- परियोजना की आवश्यकता के आधार पर सलाहकार को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा परियोजना क्षेत्रों में या उसके आसपास भी पदस्थ किया जा सकेगा ।

अवधि

- अनुबंध की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों के लिए होगी, परन्तु प्रथम नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जायेगी , जिसे प्रतिवर्ष के प्रदर्शन के मूल्याकंन के आधार पर निरंतर किया जा सकेगा।

पारिश्रमिक

- मासिक एक मुश्त वेतन वह होगा जो प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय वेतन संरचना में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एक मुश्त राशि संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाडा भत्ता(यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते की पात्रता होगी तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत की भी पात्रता होगी ।

अवकाश की पात्रता

- अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी ।

Advertisement

यात्रा भत्ता

- प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार

अन्य

- नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे ।
- संविदा सेवा अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी और न ही वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी ।
- संविदा नियुक्त का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर लिखा जायेगा ताकि आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति के लिए कार्य का मूल्यांकन किया जा सके ।
- इन नियमों, शर्तो के सबंध में कोई प्रश्न उदभूत होने की स्थिति में प्रबंध संचालक का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का निर्णय अतिम होगा ।

Advertisement

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,
लिली ट्रेड विंग छठवॉ तल, जहांगीराबाद
भोपाल (म.प्र.)- 462008

पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1- आवेदित पद का नाम- ....

2- विज्ञापन क्रमांक – ....

अभ्यर्थी का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि (DDMMYY) शब्दो एवं अंको में	31-03-2020 को आयु (YYMMDD	जातिवर्ग (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य	सेवानिवृति की तिथि यदि हो तो (DDMMYY)	मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

पत्र व्यवहार का पता
(8)

शैक्षणिक योग्यता

क्र.	उपाधि का नाम	अध्ययन का विषय	श्रेणी	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	अन्य उपलब्धियों का विवरण
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

कार्यानुभव					
क्र.	संस्था/कार्यालय का नाम	पद	अवधि से तक	अनुभव वर्ष/माह	अनुभव का कार्यक्षेत्र
(16)	(17)	(21)	(22)	(23)	(24)

यदि वर्तमान में सेवा में हो तो सेवा का नाम	सेवा का प्रकार (शासकीय/अशासकीय/स्वयत्तशासी)	वर्तमान अथवा अंतिम वेतन(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(25)	(26)	(27)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..................
अभ्यर्थी का नाम ....

घोषणा-पत्र

मैं..शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे विवेक से पूर्णत: सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वंय उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा ।

स्थान:-..................................
दिनांक:-................................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..................
अभ्यर्थी का नाम ....

संलग्न दस्तावेज -

1. हाईस्कूल / हायरसेकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
2. स्नातक / स्नात्तकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
3. जाति प्रमाण पत्र।
4. शासकीय कार्यालयों / निजी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।
5. शासकीय सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज।
6. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र ।

Advertisement